



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072026-274490
CG-DL-E-14072026-274490

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3691]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948

No. 3691]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2026

का.आ. 3853(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 135ए के जौनपुर से अकबरपुर खण्ड के कि.मी. 139.000 से कि.मी. 179.200 (पैकेज-III) के 4 लेन में चौड़ीकरण एवं उन्नयन के कार्य एवं अंबेडकरनगर बाईपास के निर्माण (चौड़ीकरण/चार-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् मुख्य राजस्व अधिकारी, सुल्तानपुर को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के

पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपो को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 135ए के जौनपुर से अकबरपुर खण्ड के कि.मी. 139.000 से कि.मी. 179.200 (पैकेज-III) के 4 लेन में चौड़ीकरण एवं उन्नयन के कार्य एवं अंबेडकरनगर बाईपास के निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: सुल्तानपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कादीपुर					
गांव का नाम: बेलवाई माधौपुर					
1	279	निजी	कृषि	0.0296 (हेक्टेयर)	0.0296
2	395	निजी	कृषि	0.0999 (हेक्टेयर)	0.0999
Total					0.1295

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-135A(PKg-III)/2023-24/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2026

S.O. 3853(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/Four Laning), Maintenance, management and operation of National Highway No. 135A, in the stretch of land in design chainage from km. 139.00 to km. 179.20 for **Widening to 4 lane from Km. 139.00 to Km. 179.20 Pkg-III (Jaunpur – Akbarpur section) and Akbarpur bypass of NH-135A in the State of Uttar Pradesh**, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Chief Revenue Officer, Sultanpur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired for Widening to 4 lane from Km. 139.00 to Km. 179.20 Pkg-III (Jaunpur – Akbarpur section) and Akbarpur bypass of NH-135A in the State of Uttar Pradesh

State: UTTAR PRADESH			District: SULTANPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kadipur					
Village: Belwaia Madhoupur					
1	279	Private	Agriculture	0.0296 (Hectare)	0.0296
2	395	Private	Agriculture	0.0999 (Hectare)	0.0999
Total					0.1295

[F. No. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-135A(PKg-III)/2023-24/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director